

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 261/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)  
एस. आर. जी. हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय- 321, एस. एम. लोधा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री  
सर्किल के पास उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती चिनु त्यागी पत्नी श्री राहुल कुमार त्यागी,  
पता - 85/725, सेक्टर 8, प्रताप नगर, भामाशाह मार्ग, राज प्लाजा के पीछे, तहसील सांगानेर,  
जयपुर,  
द्वारा मैसर्स अक्ष गैन्यूफेक्चरिंग, 85/725, सेक्टर 8, प्रताप नगर, भामाशाह मार्ग, राज प्लाजा के  
पीछे, तहसील सांगानेर, जयपुर  
एवं प्लॉट नं. 179, संजीवनी सिटी, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. श्री राहुल कुमार त्यागी पुत्र श्री रामोतार त्यागी,  
पता - 85/725, सेक्टर 8, प्रताप नगर, भामाशाह मार्ग, राज प्लाजा के पीछे, तहसील सांगानेर,  
जयपुर।
3. श्री अभित सिंह पुत्र श्री राम सिंह,  
पता - 21, दुग्ध डेयरी चौराहा, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक  
एवं द्वारा श्री मैसर्स पी-7, फिटनेस एण्ड वेलनेस प्रोफेशनल, 408, कृषि नगर, टोंक रोड, तहसील  
सांगानेर, जिला जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 25.07.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
13.12.2020 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती चिनु त्यागी पत्नी श्री राहुल  
त्यागी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं. 2-बी, श्री राम कॉलोनी, ग्राम रामसिंहपुरा बास, सांगानेर,  
जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 26,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा  
उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल  
रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.08.2021 को रजिस्टर्ड  
नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 26,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 28,31,090/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.08.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती चिन्मया पत्नी श्री राहुल त्यागी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा नं. 2-बी, श्री राम कॉलोनी, ग्राम रामसिंहपुरा बास, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 25.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर